वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर हेतु पंजीकरण।

---

1. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की आवश्यकता किन्हें है ?

- प्रत्येक ब्यौहारी, जो प्रवेश कर की देयता हेतु अधिसूचित वस्तुओं में सम्व्यवहार करता है एवं ऐसे सम्व्यवहार के सन्दर्भ में उसका वार्षिक आवर्त रू0 पांच लाख से अधिक है, के लिए पंजीयन आवश्यक है।

2. वर्तमान में किन वस्तुओं पर प्रवेश कर की देयता है ?

- वर्तमान में निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर की देयता है–

(क) चीनी;

(ख) उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत प्रायोजनार्थ ऑनलाइन शॉपिंग अथवा ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या आर्डर पर लाया गया सभी प्रकार का माल;

(ग) कच्चा पेठा व पेठा मिठाई;

(घ) प्रान्त बाहर से प्रान्त भीतर, किसी भी रूप में लाया गया सोना, जिसमें उसी रूप में या परिष्कृत कर या इससे आभूषण का निर्माण कर, विक्रय हेतु लाया गया, सोना सम्मिलित नहीं है।

3. मै पंजीयन प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे क्या करना होगा?

- पंजीयन प्राप्त करने के लिये आपको वाणिज्य कर विभाग की वैबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर जाकर Online Services के अन्तर्गत E-

Registration पर क्लिक करना है एवं समस्त अपेक्षित विवरणों को दर्ज करते हुए वांछित समस्त प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना है।

4. पंजीयन कराने हेतु मुझे किन-किन प्रपत्रों/दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?

- पंजीयन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियॉ कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। मूल प्रतियॉ ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत की जायेंगी -

(क) पंजीयन शुल्क जमा के सबूत हेतु-

(एक) चालान अथवा ई-चालान

(ख) व्यक्तियों की पहचान के सबूत हेतु-निम्न में से कोई एक-

(एक) व्यक्ति का पासपोर्ट

(दो) व्यक्ति का मतदान पहचान पत्र

(तीन) व्यक्ति का पैन कार्ड

(चार) व्यक्ति का ड्राईविंग लाइसेंस, और किसी अधिवक्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति का अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटो

(ग) व्यक्ति के निवास के पते के सबूत हेतु-निम्न में से कोई एक, जिसमें व्यक्ति का नाम व पता हो -

(एक) व्यक्ति का पासपोर्ट

(दो) व्यक्ति का मतदान पहचान पत्र

(तीन) व्यक्ति का ड्राईविंग लाइसेंस

(चार) व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण/पासबुक ऐसे खाते के चैक के निरस्त पर्ण सहित,

(पाँच) मकान का पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा पट्टा विलेख, जैसी भी स्थिति हो,

(छः) नगर निगम, परिषद/ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के सम्पत्ति कर की नवीनतम रसीद अथवा सम्पत्ति कर का कर निर्धारण आदेश,

(सात) नवीनतम संदत्त दूरभाष बिल,

(आठ) यू0पी0सी0एल0 का नवीनतम संदत्त बिजली का बिल,

(नौ) तहसीलदार के पद से अनिम्न राजस्व विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(घ) **ब्यौहारी (केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान/विभाग/निगम/कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय को छोड़कर) के कारबार के परिसरों के पते के सबूत हेतु-निम्नलिखित में से कोई एक जिसके कारबार का नाम तथा परिसरों के पते उल्लिखित हों-**

(एक) कारबार परिसरों के पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा स्वामित्व विलेख अथवा स्वामी के मामले में भवन निर्माता के साथ करार;

(दो) सम्पत्ति कर का कर निर्धारण आदेश;

(तीन) किरायेदार/उप-किरायेदार के मामले में किरायेदारी/उप-किरायेदारी जैसे कि किरायेदारी का करारनामा अथवा किराये की रसीद अथवा पटटा अथवा अनुज्ञप्ति अथवा सहमति पत्र आदि, अनुज्ञप्तिधारक अथवा सहमति देने वाले व्यक्ति का स्वामित्व दर्शाने वाले दस्तावेजों से समर्थित सबूत;

(चार) यू0पी0सी0एल0 द्वारा जारी परिसरों का मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र;

(पाँच) तहसीलदार के पद से अनिम्न राजस्व विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(छः) सिडकुल अथवा डी0आई0सी0 अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(सात) कारबार के बैंक खाते का विवरण/पास बुक ऐसे खाते के चैक के निरस्त पर्ण सहित;

(ङ) ब्यौहारी (स्वत्वधारी को छोड़कर) के गठन के सबूत हेतु–

(एक) साझीदारी फर्म के मामले में पंजीकृत साझीदारी विलेख;

(दो) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के मामले में दस्तावेज जिससे हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब सृजित किया गया है;

(तीन) कम्पनी के मामले में संगम-ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद और कारबार के बैंक खाते का विवरण;

(चार) सोसाइटी, क्लब अथवा संगम के मामले में सोसाइटी, क्लब अथवा सोसाइटी के उपविधि;

(पाँच) सरकारी विभाग अथवा निगम के मामले में विभाग अथवा कार्यालय के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(छः) ट्रस्ट के मामले में ट्रस्ट विलेख;

(च) आवेदनकर्ता (स्वत्वधारी को छोड़कर) के नाम पर प्राधिकार के सबूत हेतु–

(एक) साझीदार फर्म के सभी अन्य साझीदारों द्वारा ऐसे साझीदार जो कि पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(दो) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के मामले में दस्तावेज (जिसमें कर्ता का नाम निहित है) जिससे कि हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब सृजित किया गया है;

(तीन) निदेशक बोर्ड द्वारा कम्पनी के ऐसे निदेशक अथवा प्रबन्धक/कर्मचारी जो कि पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(चार) सोसाइटी, क्लब अथवा संगम के मामले में किसी व्यक्ति की अध्यक्ष अथवा सचिव के रूप में नियुक्ति का संकल्प;

(पाँच) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा निगम अथवा स्थानीय निकाय के कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी जो पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(छः) पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु सभी ट्रस्टियों द्वारा एक ट्रस्टी को प्राधिकृत करने का पारित संकल्प;

(सात) कारबार के असमर्थ स्वत्वधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया प्राधिकार पत्र जिसे पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(आठ) अप्राप्यवय अथवा असमर्थ व्यक्ति के रिसिवर अथवा संरक्षक के मामले में विलेख अथवा प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति;

(छ) अन्य अधिनियमों के अधीन पंजीयन का सबूत (यदि ऐसे पंजीयन लागू हैं)

(एक) दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(दो) मण्डी एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(तीन) फर्म और सोसाइटी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(चार) सर्विस टैक्स एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(पाँच) इण्डस्ट्रीज एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(छः) सैन्ट्रल एक्साइज एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(सात) ड्रग्स एण्ड कॉस्मैटिक्स एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(आठ) कम्पनीज एक्ट के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(नौ) के0वी0आई0सी0 अथवा के0वी0आई0बी0 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(दस) ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(ग्यारह) राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(ज) पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सूची

(एक) प्रस्तुत दस्तावेज का नाम

5. क्या अपलोड किये गये पंजीयन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा?

- नहीं। अपलोड किये गये पंजीयन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर हो सकता है -

(क) स्वत्वधारी कारबार की स्थिति में, स्वत्वधारी अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ख) साझीदार फर्म की स्थिति में, सभी अन्य साझीदार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई साझीदार;

(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की स्थिति में, कर्त्ता;

(घ) किसी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में, प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ड़) किसी सोसायटी या क्लब या संगम की स्थिति में, अध्यक्ष या सचिव;

(च) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा किसी स्थानीय निकाय की स्थिति में, कार्यालय प्रमुख या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(छ) ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्टी;

(ज) जहाँ कारबार किसी अप्राप्तवय अथवा असमर्थ व्यक्ति के नाम पर है, अप्राप्तवय अथवा असमर्थ व्यक्ति का रिसीवर अथवा संरक्षक;

(झ) किसी अन्य स्थिति में, व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

6. पंजीयन आवेदन पत्र अपलोड करने के उपरान्त की क्या प्रक्रिया है तथा पंजीयन प्राप्त होने में कितना समय लगता है ?

- ऑनलाईन पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त प्रार्थनापत्र तथा अनुलग्नकों के नियमानुसार व पूर्ण होने की स्थिति में सम्बन्धित पंजीयन आवेदन पत्र का निस्तारण 01 कार्य-दिवस के भीतर करते हुए पंजीयन संख्या जारी कर दी जाती है।

  पंजीयन संख्या जारी किये जाने के अगले 10 कार्य-दिवसों के भीतर कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी द्वारा आवेदन पत्र में घोषित किये गये पते पर ।कअपेवतल टपेपज हेतु उपस्थित होकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं।

7. **Advisory Visit** के सम्बन्ध में किस प्रकार जानकारी प्राप्त होगी एवं **Advisory Visit** के समय व्यापारी द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है?

- पंजीयन प्रार्थना पत्र ऑनलाईन प्राप्त होते ही अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र में दिये गये मोबाईल नम्बर/फोन नम्बर पर व्यापारी को **Advisory Visit** की तिथि नोट करायी जायेगी एवं यदि व्यापारी द्वारा पंजीयन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये प्रपत्रों के अतिरिक्त, अधिकारी, कोई अन्य प्रपत्र व्यापारी से प्राप्त किया जाना आव८यक समझते हैं तो इस सम्बन्ध में व्यापारी को सूचित किया जायेगा। नियत तिथि को व्यापारी पंजीयन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये प्रपत्रों की मूल प्रति सहित नियत स्थान पर उपस्थित होगें एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति से स्कैन कर लोड किये गये प्रपत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा प्रपत्रों के प्रिन्ट ऑउट पर अधिकारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी करवाये जायेगें।

8. पंजीयन प्राप्त करने से पूर्व क्या मुझे जमानत जमा करवानी होगी ?

- पंजीयन से पूर्व जमानत जमा करवायी जानी आवश्यक नहीं है, परन्तु यदि बाद में ऐसे तथ्य उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर जमानत मांगे जाने की आवश्यकता हो, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानत की मांग की जा सकती है।

9. पंजीयन हेतु कितनी फीस निर्धारित है?

- वैट के अन्तर्गत प्रान्तीय पंजीयन हेतु निर्धारित एक हजार रूपये की फीस ही व्यापारी द्वारा जमा की जानी है। प्रवेश कर में पंजीयन हेतु पृथक से कोई फीस जमा की जानी आवश्यक नही है।

10. पंजीयन हेतु फीस किस प्रकार जमा करवायी जा सकती है ?

- पंजीयन हेतु फीस चालान अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करवायी जा सकती है।

11. इस प्रकार प्राप्त पंजीयन संख्या कब तक वैध है ?

- पंजीयन संख्या तब तक वैध रहती है, जब तक कि व्यापारी पंजीयन के लिये दायी है अथवा व्यापारी का पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त नहीं किया गया है।